न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

मुकदमा राजस्व वाद **84 / 2021**

वादीगण :– 1. भंवरीदेवी पुत्री फौजारामजी जाति मेघवाल पत्नी हीराराम निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. हसीया पुत्र फौजारामजी
2. पारस पुत्र फौजारामजी
3. राणी पत्नी फौजारामजी
4. भटीया के कायम मुकाम :–
   4 / 1. सुशीला पत्नी भटिया
   4 / 2. देवा पुत्र भटिया सभी जातिया मेघवाल निवासी बिठुजा तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर ।

<u>राजस्व वाद बाबत अधिकारों की घोषणा, अभिलेख सुधार एवं स्थायी व्यादेश अर्न्तगत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>

उपस्थित :–1. श्री खुशालाराम पटेल वकील वादीनीगण

निर्णय दिनांक :– 20.04.2022

वादीनी की और से प्रस्तुत वादपत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के ग्राम बिठुजा के खसरा संख्या 245 रकबा 0–03 बीघा, खसरा संख्या 246 रकबा 14–00 बीघा, खसरा संख्या 798 / 94 रकबा 15–00 बीघा, खसरा संख्या 1134 / 419 रकबा 10 बीघा में वादिनी का पैतृक खानदान का सजरा पेश कर निवेदन किया की फौजाराम के हिन्दू उत्ताराधिकारी अधिनियम के अनुसार वादिनी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 उनके पुत्र पुत्री व विधवा पत्नी है। वादिनी फौजाराम की मृत्यु के समय नाबालिंग थी। फौजाराम (पिता)के फौत होने पर उनकी जमीन का म्यूटेशन सभी पुत्र व पुत्रीयों के नाम होना था परंतु हल्का पटवारी द्वारा उक्त म्युटेशन चार पुत्रों व पत्नी के नाम ही भरा गया। वादीनी का नाम छोड दिया गया जो गलत है न ही वादिनी से नामान्तरणकरण भरते समय कोई पूछताछ ही की गई। हल्का पटवा[illegible]बनावट कर प्रतिवादीगण के नाम नामान्तरणकरण कर दिया गया। वादिनी के द्वारा दि[illegible]7.8.2020 द्वारा हल्का पटवारी से जमीन बाबत कागजात की नकल [illegible] पटवारी द्वारा फौजाराम की जमीन में केवल प्रतिवादीगण का ही नाम है मेरा नाम द[illegible]हीं है तब मेरे द्वारा प्रतिवादीगण को फौजाजी की जमीन में नाम दर्ज कराने का कहा तो आश्वान देत रहे कि नाम दर्ज करवा देगे परंतु अब दिनांक 28.6.2021 लम्बे समय तक वादिनी का नाम दर्ज नहीं कराने व जमीन बैचने की फिराक में होने वादिन ने उक्त आराजी में 1 / 5 हिस्से की

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
(SDO) बालोतरा

खातेदारी में अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने हेतु यह वाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

वादी का वाद दर्ज कर प्रतिवादीगण को दिनांक 12.07.2021 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या –1 ता 4/2 उपस्थित दिनांक 24.12.2022 को जबाबदावा पेश कर जाहिर किया की ग्राम बिठुजा के खसरा संख्या 245 रकबा 0–03 बीघा, खसरा संख्या 246 रकबा 14–00 बीघा, खसरा संख्या 798/94 रकबा 15–00 बीघा, खसरा संख्या 1134/419 रकबा 10 बीघा भूमि में विवादग्रस्त जमीन में वादीनी का 1/5 हिस्सा दर्ज किया जाये तों हम प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है । दिनांक 19.04.2022 को वादीनी साक्ष्य ने मुख्य परीक्षण स्वरूप शपथ–पत्र पेश किया गया तथा साक्षी वादीनी में गवाह पी डब्लू –1 भंवरी, पी डब्लू –2 राणी का मुख्य परीक्षा स्वरूप शपथ पत्र दस्तावेजात प्रदर्श करवाये गये।

हमने वादीनी व वादीनी वकील की बहस को सुना गया व पत्रावली व वादीनी की साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेंजात व प्रतिवादीगण संख्या –1 ता 1/4 के जबाब का अवलोकन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीनी के वाद को स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपरोक्त विस्तृत विवेचन के अनुसार वादीनी के दावा को स्वीकार कर ग्राम बिठुजा स्थित खसरा संख्या 245 रकबा 0–03 बीघा, खसरा संख्या 246 रकबा 14–00 बीघा, खसरा संख्या 798/94 रकबा 15–00 बीघा, खसरा संख्या 1134/419 रकबा 10 बीघा वादग्रस्त आराजी में वादिनी भंवरी देवी को 1/5 हिस्सा का खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.09.17 16:11:19 IST
Reason: SelfAttested